पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 16 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

जनपद ललितपुर की तहसील पाली के 23 ग्राम तहसील सदर में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित

मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जनपद ललितपुर में तहसील पाली के 23 ग्रामों यथा–धौर्रा, धौजरी, प्याऊ, बिजौरी, मानिकचौक, भारौन, पिपरई, अमऊखेडा, हरदारी, कपासी, बम्हौरी पठार, मादौन, चीराकोडर, चांदपुर, जहाजपुर, सगौरिया, मैखुवां, दतया, झिलगुवां, रमपुरा, जमुनिया, सैपुरा मुजप्ता एवं चौका को तहसील पाली से अलग करके तहसील ललितपुर में शामिल किये जाने की संस्तुति की गयी है।

जनपद ललितपुर की तहसील पाली के 23 ग्रामों को जनपद ललितपुर की सदर तहसील में सम्मिलित करने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में जिलाधिकारी ललितपुर एवं मण्डलायुक्त झांसी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत 23 ग्रामों के निवासियों को तहसील पाली मुख्यालय जाने के लिए प्राकृतिक अवरोधों के कारण बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता है, जबकि इन ग्रामों के निवासियों को ललितपुर की सदर तहसील जाने के लिए यातायात के साधनों की सहज उपलब्धता है एवं सदर तहसील पहुॅचाना आसान भी है।

उच्चस्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए जनपद ललितपुर की तहसील पाली के उक्त 23 ग्रामों यथा– धौर्रा, धौजरी, प्याऊ, बिजौरी, मानिकचौक, भारौन, पिपरई, अमऊखेडा, हरदारी, कपासी, बम्हौरी पठार, मादौन, चीराकोडर, चांदपुर, जहाजपुर, सगौरिया, मैखुवां, दतया, झिलगुवां, रमपुरा, जमुनिया, सैपुरा मुजप्ता एवं चौका को तहसील पाली से अलग कर तहसील सदर में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रस्तावित है।

उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग, न्याय विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अनापत्ति व्यक्त की गयी है।

भारतीय गोवंश की गाय के दूध की सर्वाधिक आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों को 'नन्द बाबा पुरस्कार' प्रदान किए जाने का निर्णय

- प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने एवं दुग्ध उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने तथा उन्हें भारतीय गोवंश की गाय के रख–रखाव हेतु उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय गोवंश की गाय के दूध की प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद/उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादक को, जो दुग्ध संघ को वर्ष में कम से कम 1500 लीटर दूध का विक्रय किया हो, को क्रमशः रू0 5100/–, रू0 21000/– तथा रू0 51000/– नन्द बाबा पुरस्कार तथा शील्ड एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा। जिन्हें जनपद स्तर का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जायेगा, उन्हें विकास खण्ड स्तर का एवं जिन्हें प्रदेश स्तर का प्रथम पुरस्कार मिलेगा उन्हें जनपद स्तर का पुरस्कार नहीं प्रदान किया जायेगा।
- दुग्ध उत्पादक को सहकारी संघ के अन्तर्गत गठित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है।
- प्रदेश के किसी जनपद में दुग्ध संघ को सर्वाधिक दूध की आपूर्ति करने वाले सहकारी समिति के दुग्ध उत्पादक के चयन प्रक्रिया हेतु विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड अधिकारी, जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी तथा प्रदेश स्तर पर मुख्य महाप्रबन्धक, पी0सी0डी0एफ0 लि0, लखनऊ की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की जायेगी।
- दुग्ध विकास विभाग के आय–व्ययक अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में **"नन्द बाबा पुरस्कार"** हेतु रू0 52.01 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।
- डेरी उद्यमिता उ0प्र0 सांख्यकीय संकलन 2017 की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2012 में प्रदेश में भारतीय गोवंश की गायों की संख्या 15978000 है। वर्ष 2013–14 की रिपोर्ट के अनुसार देशी नस्ल की गाय की दुग्ध उत्पादकता प्रति पशु 2.587 लीटर है। वर्ष 2014–15 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय गोवंश की गायों का कुल दुग्ध उत्पादन 4546000 मीट्रिक टन है।
- जनपद कन्नौज में एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के काऊ मिल्क प्लान्ट स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में भारतीय गोवंश गाय के दूध की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। उपर्युक्त प्लान्ट हेतु भारतीय गोवंश की गाय के दूध की भी आपूर्ति की जायेगी।

जनपद एटा में राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रायोजना हेतु व्यय प्रस्ताव अनुमोदित एवं आन्तरिक फर्निशिंग कार्य में उच्च विशिष्टियों को प्रयुक्त किए जाने का निर्णय

केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges Attached with Existing District/Referral Hospital (फेज–2) भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 08 समूहों तथा 03–03 संसदीय क्षेत्रों में से 01–01 मेडिकल कालेज का चयन राज्य सरकार द्वारा Challenge Mode एवं निर्धारित मानकों के आधार पर चयन किया गया है। केन्द्र सहायतित योजना (फेज–2) के अंतर्गत समूह–1 में जनपद–एटा का चयन जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु किया गया है। मेडिकल कालेज की लागत रू0 250 करोड़ प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त धनराशि 60:40 के अनुपात में वहन की जायेगी। केन्द्र सहायतित योजना (फेज–2) के अन्तर्गत हेतु जिला चिकित्सालय के 9.45 एकड़ को सम्मिलित करते हुये कुल 25.89 एकड़ भूमि राजकीय मेडिकल कालेज हेतु उपलब्ध हो गयी है।

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है तथा यहॉ पर 59000 हजार एलोपैथिक डाक्टर्स पंजीकृत है। डब्ल्यू एच0ओ0 के अनुसार डाक्टर तथा जनसंख्या के मध्य अनुपात 1:1000 होना चाहिए जबकि प्रदेश में यह अनुपात लगभग 1:3700 है जो मानक से बहुत कम है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में मेडिकल कालेज की स्थापना से चिकित्सकों की कमी के साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षकों की कमी भी दूर हो सकेगी, तथा टर्सरी केयर में सुधार होगा। प्रदेश में जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने हेतु असेवित जिलो का चयन किया गया है। जनपद–एटा में मेडिकल कालेज की स्थापना से न केवल एटा बल्कि आस–पास के जिलों के निवासी भी लाभान्वित हो सकेगें।

व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 11.10.2018 को सम्पन्न बैठक में राजकीय मेडिकल कालेज एटा के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था सी0एन0डी0एस0 (जल निगम) द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/आगणन लागत रूपये 280.5429 करोड़ के सापेक्ष रूपये 216.8483 करोड़+ जी0एस0टी0(नियमानुसार देय) कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित करते हुए उच्च विशिष्टियों पर मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदन का परामर्श दिया है। प्रायोजना में प्राविधानित कार्यों एवं प्रयुक्त विशिष्टियॉ यथा–वी0आर0बी0/वी0आर0एफ एवं मेटल फाल्स सीलिंग, के प्रयोग पर अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

जनपद देवरिया में राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रायोजना हेतु व्यय प्रस्ताव अनुमोदित एवं आन्तरिक फर्निशिंग कार्य में उच्च विशिष्टियों को प्रयुक्त किये जाने का निर्णय

केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges Attached with Existing District/Referral Hospital (फेज–2) भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 08 समूहों तथा 03–03 संसदीय क्षेत्रों में से 01–01 मेडिकल कालेज का चयन राज्य सरकार द्वारा Challenge Mode एवं निर्धारित मानकों के आधार पर चयन किया गया है। केन्द्र सहायतित योजना (फेज–2) के अंतर्गत समूह–6 में जनपद–देवरिया का चयन जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु किया गया है। मेडिकल कालेज की लागत रू0 250 करोड़ प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त धनराशि 60:40 के अनुपात में वहन की जायेगी।

केन्द्र सहायतित योजना (फेज–2) के अन्तर्गत हेतु जिला चिकित्सालय के वर्तमान परिसर में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु 27.87 एकड़ भूमि उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है तथा यहॉ पर 59000 हजार एलोपैथिक डाक्टर्स पंजीकृत है। डब्ल्यू एच0ओ0 के अनुसार डाक्टर तथा जनसंख्या के मध्य अनुपात 1:1000 होना चाहिए जबकि प्रदेश में यह अनुपात लगभग 1:3700 है जो मानक से बहुत कम है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में मेडिकल कालेज की स्थापना से चिकित्सकों की कमी के साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षकों की कमी भी दूर हो सकेगी, तथा टर्सरी केयर में सुधार होगा। प्रदेश में जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने हेतु असेवित जिलो का चयन किया गया है।

जनपद–देवरिया में मेडिकल कालेज की स्थापना से न केवल देविरया बल्कि आस–पास के जिलों के निवासी भी लाभान्वित हो सकेगें। व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 05.10.2018 को सम्पन्न बैठक में राजकीय मेडिकल कालेज गाजीपुर के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/आगणन लागत रूपये 221.9787 करोड़ के सापेक्ष रूपये 207.9132 करोड़+ जी0एस0टी0(नियमानुसार देय) कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित करते हुए उच्च विशिष्टियों पर मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदन प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

जनपद फतेहपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रायोजना हेतु व्यय प्रस्ताव अनुमोदित एवं आन्तरिक फर्निशिंग कार्य में उच्च विशिष्टियों को प्रयुक्त किये जाने का निर्णय

केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges Attached with Existing District/Referral Hospital (फेज–2) भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 08 समूहों तथा 03–03 संसदीय क्षेत्रों में से 01–01 मेडिकल कालेज का चयन राज्य सरकार द्वारा Challenge Mode एवं निर्धारित मानकों के आधार पर चयन किया गया है। केन्द्र सहायतित योजना (फेज–2) के अंतर्गत समूह–4 में जनपद–फतेहपुर का चयन जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु किया गया है। मेडिकल कालेज की लागत रू0 250 करोड़ प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त धनराशि 60:40 के अनुपात में वहन की जायेगी।

केन्द्र सहायतित योजना (फेज–2) के अन्तर्गत हेतु जिला चिकित्सालय के 5.47 एकड़ को सम्मिलित करते हुये कुल 24.93 एकड़ भूमि राजकीय मेडिकल कालेज हेतु उपलब्ध हो गयी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है तथा यहॉ पर 59000 हजार एलोपैथिक डाक्टर्स पंजीकृत है। डब्ल्यू एच0ओ0 के अनुसार डाक्टर तथा जनसंख्या के मध्य अनुपात 1:1000 होना चाहिए जबकि प्रदेश में यह अनुपात लगभग 1:3700 है जो मानक से बहुत कम है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में मेडिकल कालेज की स्थापना से चिकित्सकों की कमी के साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षकों की कमी भी दूर हो सकेगी, तथा टर्सरी केयर में सुधार होगा। प्रदेश में जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने हेतु असेवित जिलो का चयन किया गया है।

जनपद–फतेहपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना से न केवल फतेहपुर बल्कि आस–पास के जिलों के निवासी भी लाभान्वित हो सकेगें। व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 11.10.2018 को सम्पन्न बैठक में राजकीय मेडिकल कालेज फतेहपुर के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था सी0एन0डी0एस0 (जल निगम) द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/आगणन लागत रूपये 277.9461 करोड़ के सापेक्ष रूपये 212.4956 करोड़+ जी0एस0टी0(नियमानुसार देय) कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित करते हुए उच्च विशिष्टियों पर मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदन प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

जनपद गाजीपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रायोजना हेतु व्यय प्रस्ताव अनुमोदित एवं आन्तरिक फर्निशिंग कार्य में उच्च विशिष्टियों को प्रयुक्त किए जाने का निर्णय

केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges Attached with Existing District/Referral Hospital (फेज–2) भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 08 समूहों तथा 03–03 संसदीय क्षेत्रों में से 01–01 मेडिकल कालेज का चयन राज्य सरकार द्वारा Challenge Mode एवं निर्धारित मानकों के आधार पर चयन किया गया है। केन्द्र सहायतित योजना (फेज–2) के अंतर्गत समूह–7 में जनपद–गाजीपुर का चयन जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु किया गया है। मेडिकल कालेज की लागत रू0 250 करोड़ प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त धनराशि 60:40 के अनुपात में वहन की जायेगी।

केन्द्र सहायतित योजना (फेज–2) के अन्तर्गत हेतु जिला चिकित्सालय के 11.97 एकड़ को सम्मिलित करते हुये कुल 33.58 एकड़ भूमि राजकीय मेडिकल कालेज हेतु उपलब्ध हो गयी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है तथा यहॉ पर 59000 हजार एलोपैथिक डाक्टर्स पंजीकृत है। डब्ल्यू एच0ओ0 के अनुसार डाक्टर तथा जनसंख्या के मध्य अनुपात 1:1000 होना चाहिए जबकि प्रदेश में यह अनुपात लगभग 1:3700 है जो मानक से बहुत कम है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में मेडिकल कालेज की स्थापना से चिकित्सकों की कमी के साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षकों की कमी भी दूर हो सकेगी, तथा टर्सरी केयर में सुधार होगा। प्रदेश में जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने हेतु असेवित जिलो का चयन किया गया है।

जनपद–गाजीपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना से न केवल गाजीपुर बल्कि आस–पास के जिलों के निवासी भी लाभान्वित हो सकेगें। व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 05.10.2018 को सम्पन्न बैठक में राजकीय मेडिकल कालेज गाजीपुर के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/आगणन लागत रूपये 237.0533 करोड़ के सापेक्ष रूपये 220.4336करोड़+ जी0एस0टी0(नियमानुसार देय) कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित करते हुए उच्च विशिष्टियों पर मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदन प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

जनपद हरदोई में राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रायोजना हेतु व्यय प्रस्ताव अनुमोदित एवं आन्तरिक फर्निशिंग कार्य में उच्च विशिष्टियों को प्रयुक्त किये जाने का निर्णय

केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges Attached with Existing District/Referral Hospital (फेज–2) भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 08 समूहों तथा 03–03 संसदीय क्षेत्रों में से 01–01 मेडिकल कालेज का चयन राज्य सरकार द्वारा Challenge Mode एवं निर्धारित मानकों के आधार पर चयन किया गया है। केन्द्र सहायतित योजना (फेज–2) के अंतर्गत समूह–2 में जनपद–हरदोई का चयन जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु किया गया है। मेडिकल कालेज की लागत रू0 250 करोड़ प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त धनराशि 60:40 के अनुपात में वहन की जायेगी।

केन्द्र सहायतित योजना (फेज–2) के अन्तर्गत हेतु जिला चिकित्सालय की 11.00 एकड़ को सम्मिलित करते हुए कुल 27.50 एकड़ भूमि राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु उपलब्ध हो गयी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है तथा यहॉ पर 59000 हजार एलोपैथिक डाक्टर्स पंजीकृत है। डब्ल्यू एच0ओ0 के अनुसार डाक्टर तथा जनसंख्या के मध्य अनुपात 1:1000 होना चाहिए जबकि प्रदेश में यह अनुपात लगभग 1:3700 है जो मानक से बहुत कम है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में मेडिकल कालेज की स्थापना से चिकित्सकों की कमी के साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षकों की कमी भी दूर हो सकेगी, तथा टर्सरी केयर में सुधार होगा। प्रदेश में जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने हेतु असेवित जिलो का चयन किया गया है। जनपद–हरदोई में मेडिकल कालेज की स्थापना से न केवल हरदोई बल्कि आस–पास के जिलों के निवासी भी लाभान्वित हो सकेगें।

व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 11.10.2018 को सम्पन्न बैठक में राजकीय मेडिकल कालेज हरदोई के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/आगणन लागत रूपये 222.8617 करोड़ के सापेक्ष रूपये 206.3320 करोड़+ जी0एस0टी0(नियमानुसार देय) कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित करते हुए उच्च विशिष्टियों पर मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदन प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रायोजना हेतु व्यय प्रस्ताव अनुमोदित एवं आन्तरिक फर्निशिंग कार्य में उच्च विशिष्टियों को प्रयुक्त किए जाने का निर्णय

केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges Attached with Existing District/Referral Hospital (फेज–2) भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 08 समूहों तथा 03–03 संसदीय क्षेत्रों में से 01–01 मेडिकल कालेज का चयन राज्य सरकार द्वारा Challenge Mode एवं निर्धारित मानकों के आधार पर चयन किया गया है। केन्द्र सहायतित योजना (फेज–2) के अंतर्गत समूह–3 में जनपद–प्रतापगढ़ का चयन जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु किया गया है। मेडिकल कालेज की लागत रू0 250 करोड़ प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त धनराशि 60:40 के अनुपात में वहन की जायेगी।

केन्द्र सहायतित योजना (फेज–2) के अन्तर्गत हेतु जिला चिकित्सालय की 11.44 एकड़ को सम्मिलित करते हुए कुल 23.43 एकड़ भूमि राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु उपलब्ध हो गयी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है तथा यहॉ पर 59000 हजार एलोपैथिक डाक्टर्स पंजीकृत है। डब्ल्यू एच0ओ0 के अनुसार डाक्टर तथा जनसंख्या के मध्य अनुपात 1:1000 होना चाहिए जबकि प्रदेश में यह अनुपात लगभग 1:3700 है जो मानक से बहुत कम है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में मेडिकल कालेज की स्थापना से चिकित्सकों की कमी के साथ 'ही साथ चिकित्सा शिक्षकों की कमी भी दूर हो सकेगी, तथा टर्सरी केयर में सुधार होगा। प्रदेश में जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने हेतु असेवित जिलो का चयन किया गया है। जनपद–प्रतापगढ़ में मेडिकल कालेज की स्थापना से न केवल प्रतापगढ़ बल्कि आस–पास के जिलों के निवासी भी लाभान्वित हो सकेगें।

व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 05.10.2018 को सम्पन्न बैठक में राजकीय मेडिकल कालेज प्रतापगढ़ के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/आगणन लागत रूपये 228.8928 करोड़ के सापेक्ष रूपये 213.0075 करोड़+ जी0एस0टी0(नियमानुसार देय) कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित करते हुए उच्च विशिष्टियों पर मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदन प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

जनपद सिद्धार्थनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रायोजना हेतु व्यय प्रस्ताव अनुमोदित एवं आन्तरिक फर्निशिंग कार्य में उच्च विशिष्टियों को प्रयुक्त किये जाने का निर्णय

केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges Attached with Existing District/Referral Hospital (फेज–2) भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 08 समूहों तथा 03–03 संसदीय क्षेत्रों में से 01–01 मेडिकल कालेज का चयन राज्य सरकार द्वारा Challenge Mode एवं निर्धारित मानकों के आधार पर चयन किया गया है। केन्द्र सहायतित योजना (फेज–2) के अंतर्गत समूह–5 में जनपद–सिद्धार्थनगर का चयन जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु किया गया है। मेडिकल कालेज की लागत रू0 250 करोड़ प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त धनराशि 60:40 के अनुपात में वहन की जायेगी।

केन्द्र सहायतित योजना (फेज–2) के अन्तर्गत हेतु जिला चिकित्सालय की 17.34 एकड़ को सम्मिलित करते हुए कुल 25.89 एकड़ भूमि राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु उपलब्ध हो गयी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है तथा यहॉ पर 59000 हजार एलोपैथिक डाक्टर्स पंजीकृत है। डब्ल्यू एच0ओ0 के अनुसार डाक्टर तथा जनसंख्या के मध्य अनुपात 1:1000 होना चाहिए जबकि प्रदेश में यह अनुपात लगभग 1:3700 है जो मानक से बहुत कम है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में मेडिकल कालेज की स्थापना से चिकित्सकों की कमी के साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षकों की कमी भी दूर हो सकेगी, तथा टर्सरी केयर में सुधार होगा। प्रदेश में जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने हेतु असेवित जिलो का चयन किया गया है।

जनपद–सिद्धार्थनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना से न केवल सिद्धार्थनगर के निवासियों को सुविधा होगी अपितु इससे सटे हुए जिले यथा–महाराजगंज, बस्ती संतकबीर नगर, बलरामपुर, गोण्डा तथा उत्तर में नेपाल के कुछ जनपदों के निवासी भी लाभान्वित हो सकेगें। जनपद सिद्धार्थनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना से यहॉ के निवासियों की चिकित्सीय निर्भरता 80 किलोमीटर दूर स्थित बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर से कम होगी।

व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 05.10.2018 को सम्पन्न बैठक में राजकीय मेडिकल कालेज हरदोई के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/आगणन लागत रूपये 245.1051 करोड़ के सापेक्ष रूपये 226.0442 करोड़+ जी0एस0टी0(नियमानुसार देय) कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित करते हुए उच्च विशिष्टियों पर मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदन प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

पेराई सत्र 2018–19 के लिए खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति को मंजूरी

प्रदेश में गन्ने की अच्छी पैदावार के दृष्टिगत गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढावा देने तथा रोजगार सृजन हेतु नई खाण्डसारी लाइसेंसिग नीति को दिनांक 01 अप्रैल 2018 से लागू करने की मा. मंत्रि परिषद द्वारा मंजूरी दी गयी है।

पूर्व में निर्धारित नजदीकी चीनी मिल गेट से 15 कि.मी. की त्रिज्यात्मक दूरी को शिथिल करते हुए अब चीनी मिल से मात्र 08 कि.मी. की त्रिज्यात्मक दूरी से बाहर खाण्डसारी इकाई को नया लाइसेंस प्रदान किया जायेगा।

गुड़ बनाने वाली इकाईयां लाइसेंस से मुक्त होगीं। गुड़ बनाने वाली इकाईयां यदि खाण्डसारी बनाने हेतु लाइसेंस प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिये अलग से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

खाण्डसारी इकाई को वैक्यूम के अन्तर्गत सिरप ब्रिक्स को अधिकतम 65 डिग्री तक इवोपोरेट करने की अनुमति होगी।

गुड़ उत्पादन करने के लिए पावर क्रेशर/मिनी क्रेशर की स्थापना नजदीकी चीनी मिल गेट से 08 कि.मी. की त्रिज्यात्मक दूरी से बाहर करने पर लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रदेश में गन्ने की अच्छी पैदावार के दृष्टिगत गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढावा देने तथा रोजगार सृजन हेतु नई खाण्डसारी लाइसेंसिग नीति को दिनांक 01 अप्रैल 2018 से लागू करने की मा. मंत्रि परिषद द्वारा मंजूरी दी गयी है। पूर्व में निर्धारित नजदीकी चीनी मिल गेट से 15 कि.मी. की त्रिज्यात्मक दूरी को शिथिल करते हुए अब चीनी मिल से मात्र 08 कि.मी. की त्रिज्यात्मक दूरी से बाहर खाण्डसारी इकाई को नया लाइसेंस प्रदान किया जायेगा। फलस्वरूप नये खाण्डसारी इकाईयों की स्थापना को बढावा मिलेगा तथा नये रोजगार का भारी संख्या में सृजन होगा।

स्टीम ब्वायलिंग प्रोसेस की स्थापना हेतु इकाई स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का गुण-दोष के आधार पर परीक्षण करके 3 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा। खाण्डसारी इकाई वैक्यूम के अन्तर्गत सिरप ब्रिक्स को अधिकतम 65 डिग्री तक इवोपोरेट करने की अनुमति होगी। यह अनुमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 3 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी। गुड़ बनाने वाली इकाईयां लाइसेंस से मुक्त होगीं। गुड़ बनाने वाली इकाईयां यदि खाण्डसारी बनाने हेतु लाइसेंस प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिये अलग से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। गुड़ उत्पादन करने के लिए पावर क्रेशर/मिनी क्रेशर की स्थापना हेतु पूर्व में लाइसेन्स की शर्त को शिथिल करते हुए नजदीकी चीनी मिल गेट से 08 कि.मी. की त्रिज्यात्मक दूरी से बाहर पावर क्रेशर/मिनी क्रेशर की स्थापना करने पर लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

बन्द पड़ी धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, जनपद गोरखपुर की 50 एकड़ भूमि बायोमास आधारित सेकेण्ड जनरेशन एथनॉल प्लाण्ट की स्थापना हेतु इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन को 30 वर्ष की लीज पर हस्तान्तरित करने का निर्णय

- इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली द्वारा सेकेण्ड जनरेशन एथनॉल उत्पादन हेतु धुरियापार चीनी मिल की 50 एकड़ भूमि 30 वर्ष की दीर्धकालीन लीज पर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
- धुरियापार चीनी मिल की सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 24–07–2018 में प्रस्ताव पारित करते हुए उक्त भूमि को इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन नई दिल्ली को दिये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति करते हुए अनापत्ति प्रदान की गयी।
- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ की सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 24–07–2018 में पारित उक्त प्रस्ताव पर संस्तुति की गयी।
- निबन्धक सहकारी चीनी मिलें उ.प्र. द्वारा प्रश्नगत भूमि इण्डियन आयल कारपोरेशन, नई दिल्ली को निर्धारित दर पर लीज पर दिये जाने पर अपनी संस्तुति प्रदान की गई है।

लखनऊ दिनांक अक्टूबर, 2018

उ.प्र. सहकारी समिति (विशेष उपबन्ध) नियमावली 2007 के नियम 3(3) के अन्तर्गत सहकारी चीनी मिल समिति की प्रबन्ध कमेटी की सुनवाई के पश्चात निबन्धक सहकारी चीनी मिलें उ.प्र. उक्त अधिनियम की धारा–125–क के अन्तर्गत कार्यवाही का विनिश्चय से पूर्व वित्त पोषण संस्थाओं एवं राज्य सरकार से परामर्श प्राप्त करने का प्राविधान है। निबन्धक सहकारी चीनी मिलें उ.प्र. द्वारा उक्त प्राविधान के अन्तर्गत दिनाँकः 03.10.2018 को वित्त पोषक संस्थाओं एवं प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की आहूत बैठक में चीनी मिल की सामान्य निकाय की बैठक दिनाँकः 24.07.2018 में पारित प्रस्ताव के अनुसार बन्द धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. हरपुर, गजपुर, जनपद गोरखपुर की अनुपयोगित 50 एकड़ भूमि को लिग्नो–सैलिलॉजिक बायोमास आधारित सेकेण्ड जनरेशन एथनॉल प्लाण्ट की स्थापना हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित/अनुमोदित सर्किल रेट के आधार पर आवश्यक भूमि लीज रेंट का नियमानुसार निर्धारण करते हुए 30 वर्ष की लीज पर इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. नई दिल्ली को हस्तांतरित किये जाने जाने का निर्णय लिया गया है।

चीनी मिल धुरियापार की 50 एकड़ भूमि पर इण्डियन आयल कारपोरेशन लि., नई दिल्ली द्वारा सेकेण्ड जनरेशन एथनॉल प्लान्ट स्थापित किये जाने के लिये लगभग रू0 800.00 करोड़ का व्यय होना ऑकलित है। प्रश्नगत भूमि दीर्घकालीन लीज पर दिये जाने के फलस्वरूप चीनी मिल संघ को चीनी मिल की भूमि हेतु लीज रेन्ट के रूप में रू.1.30 करोड़ वर्षानुवर्ष वार्षिक आय प्राप्त होगी।

उक्त परियोजना के स्थापित हो जाने की दशा में निकटवर्ती क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार के सृजन के साथ–साथ व्यावसायिक गतिविधियॉ प्रारम्भ होंगी, जिससे क्षेत्र का आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास होगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश को विभिन्न प्रकार के शुल्क से राजस्व की प्राप्ति होगी।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा लीज की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विकसित परियोजना को चीनी मिल संघ को भार/बन्धक रहित, **''जहाँ है जैसा है''** के आधार पर On Going Concern के रूप में वापस किया जायेगा।

जनपद इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर जनपद 'प्रयागराज' किए जाने का निर्णय

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 15.10.2018 में अवगत कराया गया है कि इलाहाबाद की जनता एक लम्बे समय से इलाहाबाद के स्थान पर जनपद एवं नगर का नाम ''प्रयाग'' या ''प्रयागराज'' करने की मांग निरन्तर कर रही है।

उनकी इस मांग के औचित्य निर्धारण के क्रम में राजस्व परिषद द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्राचीन ग्रन्थों में हमारे देश में कुल 14 प्रयाग स्थल वर्णित है, इनमें प्रयाग (इलाहाबाद) के अतिरिक्त किसी अन्य स्थल का नाम परिवर्तित नहीं हुआ है, जबकि इस नगर को सभी प्रयागों का राजा अर्थात प्रयागराज कहा जाता है। जनपद एवं नगर का नाम ''प्रयाग' से इलाहाबाद परिवर्तित होने के कारण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भ्रम की स्थिति हमेशा उत्पन्न रही है, जिसके निवारण के लिए सम्पूर्ण संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ''प्रयाग'' का नाम इसे ''प्रयाग'' अथवा ''प्रयागराज'' के रूप में वापस मिलना तर्कपूर्ण न्यायसंगत प्रतीत होता है।

जनपद इलाहाबाद एवं नगर इलाहाबाद का नाम ''प्रयागराज'' किये जाने से जहां एक ओर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति के प्रचार–प्रसार को बल मिलेगा तथा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इसकी वैदिक एवं पौराणिक पहचान भी अक्षुण्ण रह सकेगी।

उक्त के दृष्टिगत राजस्व परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर जनपद इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर जनपद ''प्रयागराज'' किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के संबंध में वित्त एवं न्याय विभाग द्वारा अनापत्ति व्यक्त की गयी है।

———————————

PN-CM-Cabinet Decision-16 October, 2018